अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, माकड़वाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर

No 0 1 7 3 4

क्रमांकः–अविविनिलि / प्र.नि. / सचिव(प्रशा.) / अनु.भर्ती. / का.आ......... / प्रे............ दिनांक...... ......
19 JUN 2013

आदेश–.....177

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक संख्या–210 दिनांक 22.04.2013 में लिये गये निर्णय अनुसार राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम ब्यूरो के अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रकरण के संदर्भ में सचिव (प्रशासन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर ने पत्र क्रमांकः–JPD/ Admn./ Rectt./ F./D.866 dated 18.03.2013 द्वारा श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, जयपुर डिस्कॉम के निर्देशानुसार कार्यालय वित्तीय सलाहकार एवं सचिव, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के निम्नलिखित मृतक कर्मचारी के आश्रित को उसके नाम के सम्मुख अंकित पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल पर प्रोबेशनर ट्रेनी (Probationer Trainee) के रूप में फिक्सड् रेमुनरेशन (Fixed Remuneration) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है, उसके नाम के आगे अंकित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा आश्रित का अग्रिम पदस्थापना आदेश जारी किया जायेगा:–

क्रम स.	आश्रित का नाम / मृतक कर्मचारी का नाम, पद तथा सम्बन्धित कार्यालय का नाम एवं स्थान	जन्म दिनांक	प्रोबेशनर ट्रेनी का पदनाम	प्रोबेशनर ट्रेनी की अग्रिम पदस्थापना हेतु कार्यालय
1	श्री सीताराम यादव पुत्र श्री सांवरमल यादव (बेरर) वित्तीय सलाहकार एवं सचिव, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।	06.06.1989	सी.सी.सी.	अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अविविनिलि, (सीकर)

फिक्सड्–रेमुनरेशन (Fixed-Remuneration) की दरें:–

1. सी.सी.सी. के पद पर प्रोबेशनर ट्रेनी–6,100 / –रू. प्रतिमाह।

नियम एवं शर्ते :–

1. नियुक्ति 2 वर्ष के लिये प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में फिक्सड् रेमुनरेशन पर की जाती है। इस आश्रित के सेवाकाल में वृद्धि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रोबेशनर ट्रेनी का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर ही की जावेगी। प्रोबेशनर ट्रेनी के द्वारा सफलतापूर्वक प्रोबेशन ट्रेनिंग की 2 वर्ष की अवधी पूर्ण करने पर सम्बन्धित पद का पे बेन्ड व ग्रेड पे नियमानुसार प्रदान किये जावेंगे।

R.R No.......... ...Dt...........
S.E. (IT) A.V.V.N.L., Ajmer

2. प्रोबेशनर ट्रेनी की प्रोबेशन ट्रेनिंग की अवधी को समाप्त करने हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के Order No- AVVNL/CAO/ AAO (Rules)/ F.1 (56) / Rules-331/ D.353/dated 21.04.2009, Order No. AVVNL/ Secty. (Admn.) / Comp. Apptt./ D.000674/ dated 30.04.2009, Order No. AVVNL/ CAO (Rev.)/ AAO(Estt.)/F. /OO.43/D.1912 Dated 08.07.2009, Order No. AVVNL/ CAO(Rev.)/AO (Rules) F.18/ Rules-366/ D.4476 Dated 25.11.2009, Order No. AVVNL/CAO (Rev.)/ Sr.AO (Rules)/ F.18/ OO/Rules-369/D.4502/Dated 26.11.2009, Order No. AVVNL/MD/ Secy.(Admn.)/ Comp.Apptt./ OO-387/ D.4381/ Dated 24.09.2010, Order No.AVVNL/ MD/ Secy. (Admn.) / Comp.Apptt./ OO-403/ D.4619/ Dated 04.10.2010, परिपत्र क्रमांक--अविविनिलि/प्र.नि./सचिव(प्रशा.)/अनु. भर्ती/टंकण परीक्षा/प्रे.7141 दिनांक 01.01.2013, आदेश क्रमांक :--AVVNL/CAO(R&C)/AAO (Rule)/F.86/Rule-606/D.4855/Dated 28.03.2013 एवं आदेश क्रमांक AVVNL/ CAO (R&C) /AAO(Rule)/F.20/OO/D.385/Dated 17.04.2013 के निर्देशों की पालना की जावेगी।

3. सी.सी.सी. के पद पर नियुक्त किये गये प्रोबेशनर ट्रेनी को निम्नलिखित कम्प्यूटर कोर्स की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधी में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा:--

1. Basic concept, component and their working.
2. Concept of hardware, software, operating system and Application software.
3. MS window as the operating system.
4. Working on "MS Word" or equivalent "Word processing" Software.
5. Working on "MS Excel" or equivalent Spread Sheet Software.
6. Use of Internet and e-mail.

इसके अतिरिक्त सी.सी.सी. के पद पर प्रोबेशनर ट्रेनी (Probationer Trainee) के रूप में नियुक्त किये गये आश्रित की टंकण परीक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा कम्प्यूटर से ली जावेगी।

4. प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में कार्यग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यदि वह नौकरी पर यात्रा करता है तो उसे यात्रा भत्ता यात्रा पर माना जाकर किया जावेगा। स्थानान्तरण के मामले में उसे फिक्सड् रेमुनरेशन के आधार पर केवल माइलेज भत्ता एवं आकस्मिक व्यय ही देय होगा।

5. कार्य ग्रहण करते समय प्रोबेशनर ट्रेनी के द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक, जो जिला चिकित्सा अधिकारी (जिस जिले में कर्मचारी का मुख्यालय स्थित है) के स्तर से कम नहीं होगा, द्वारा दिया गया आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। जिस मामले में प्रोबेशनर ट्रेनी पूर्णतया आरोग्य होने पर कार्य पर उपस्थित हो जावेगा, उसे चिकित्सा परीक्षण हेतु दिये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अजमेर डिस्कॉम द्वारा कर दी जावेगी।

6. कार्य ग्रहण करते समय प्रोबेशनर ट्रेनी को निम्नांकित प्रमाण पत्र मूल रूप से संवीक्षा के लिये एवं उनकी सत्यापित प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु प्रस्तुत करनी होंगी:--
   i. शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र।
   ii. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण पत्र।
   iii. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से विकलाँग श्रेणी का प्रमाण पत्र (यदि इस वर्ग से सम्बन्धित हो तो)
   iv. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र--दो प्रतियों में भरकर।
   v. मृतक कर्मचारी का कोई भी आश्रित (पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान वैद्य रूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/अविवाहित दत्तक पुत्री जो मृत सरकारी कर्मचारी पर उसकी मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थे) केन्द्र या राज्य सरकार में अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम/संगठन/निगमों जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/ राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय एवं उसके पश्चात् नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं है।

7. कार्य ग्रहण करते समय प्रोबेशनर ट्रेनी से इस आशय का शपथ पत्र (दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो प्रथम श्रेणी दण्ड नायक से सत्यापित हो) देना होगा कि--वह मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रितों की पूर्ण रूप से देखभाल करेगा। यदि अनुकम्पात्मक नियुक्ति ग्रहण करने के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जावे कि वह मृतक कर्मचारी के आश्रितों की उपेक्षा कर रहा है या उनकी सही रूप से देखभाल एवं भरण--पोषण नहीं कर रहा है तो ऐसी दशा में नियुक्ति अधिकारी को उसकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। उक्त शपथ पत्र की सत्यापित प्रति कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के द्वारा इस कार्यालय को भी भेजी जावेगी।

8. सेवा के अन्य लाभ एवं शर्तें आदि प्रोबेशनर ट्रेनी को अजमेर डिस्कॉम के आदेश क्रमांक--AVVNL/CAO/AAO(F&R)/F.56/ORDER-173/D.3337/Dated-31/03/2006, आदेश क्रमांक--AVVNL/FA&COA/AAO(F&R)/F.1(25)/ORDER-186/D.570/Dated 24/07/2006, आदेश क्रमांक--AVVNL/ FA&COA/ AAO (F&R)/ F.1(26)/ ORDER-187/ D.571/ Dated-24/07/2006, आदेश क्रमांक--AVVNL/ FA&COA/ AAO (F&R) /F.1(36) / ORDER-188/ D.572/ Dated -24/07/2006, आदेश क्रमांक--AVVNL/ CAO/AAO (Rules)/ F. RPS-08/ OO-232/D.3065/Dated 01.10.2008, आदेश क्रमांक--AVVNL/ MD/ Secy. (Admn.) /Comp. Apptt./OO-300/D.3609/Dated 20.08.2010, आदेश क्रमांक AVVNL/MD/ Secy.(Admn.)/ Comp.Apptt./OO-387/ D.4381/ Dated 24.09.2010, आदेश क्रमांक--AVVNL/MD/ Secy. (Admn.)/Comp.Apptt./OO-403/D.4619/Dated04.10.2010, परिपत्र क्रमांक --अविविनिलि/ प्र.नि./सचिव(प्रशा.)/अनु.भर्ती/टंकणपरीक्षा/प्रे.7141 दिनांक 01.01.2013 एवं आदेश क्रमांक AVVNL/CAO(R&C)/AAO(Rule)/F.86/Rule-606/D.4855/Dated 28.03.2013 के अनुसार एवं समय समय पर इस सम्बन्ध में जारी आदेश इस नियुक्ति पर लागू होंगें।

9. प्रोबेशनर ट्रेनी को एक माह का वेतन फिक्सड् रेमुनरेशन बतौर नगद प्रतिभूति अथवा बचत प्रमाण–पत्र के रूप में अग्रिम जमा करवाना होगा अथवा एक माह का वेतन (मूल वेतन एवं महँगाई भत्ता) के बराबर की धन राशि उसके वेतन से तीन किश्तों में वसूल की जाकर जमा की जावेगी अथवा प्रोबेशनर ट्रेनी को अजमेर–डिस्कॉम के किसी भी स्थायी कर्मचारी द्वारा यह प्रत्याभूति भरकर प्रस्तुत करनी होगी कि प्रोबेशनर ट्रेनी द्वारा बिना एक माह का नोटिस दिये सेवा छोड़े जाने की स्थिति में वह एक माह का वेतन फिक्सड् रेमुनरेशन जमा करवायेगा एवं स्थायी कर्मचारी का नियंत्रक अधिकारी यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि प्रतिभूति संबंधी प्रविष्टी सेवा–पुस्तिका में कर ली गई है।

10. प्रोबेशनर ट्रेनी की सेवाएँ किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का फिक्सड् रेमुनरेशन देकर समाप्त की जा सकती है किन्तु दुराचरण/कदाचार तथा पुलिस द्वारा चरित्र सम्बन्धी प्रतिवेदन पक्ष में नहीं होने के मामले में सेवाएँ समाप्त की जावेगी, तब किसी प्रकार की लिखित सूचना देना अनिवार्य नहीं है।

11. सेवा की अवधी के पूर्व सेवा समाप्ती के कारण किसी भी प्रकार की प्रतिभूति क्षतिपूर्ति के योग्य नहीं होगें।

12. यदि प्रोबेशनर ट्रेनी पदस्थापना आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर–अन्दर सम्बन्धित पदस्थापना स्थल पर कार्य ग्रहण नहीं करता है तो यह माना जावेगा कि वह नियुक्ति का इच्छुक नहीं है। ऐसी दशा में उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

13. प्रोबेशनर ट्रेनी को आवश्यकतानुसार राजस्थान के किसी भी भाग में या अजमेर डिस्कॉम के कार्यक्षेत्र में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।

14. इस नियुक्त किये जा रहे मृतक कर्मचारी के आश्रित से एक प्रमाण पत्र लिया जावेगा कि मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को भृति लाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। यदि भृतिलाभ दिया जा रहा है, तो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आदेश क्रमांक–CMD/ AVVNL/ KARMIK/RECTT/ORDER-310/D.1998/Dated 15-02-2001 के अनुसार भृतिलाभ को तुरन्त बन्द करने हेतु जहाँ मृतक कर्मचारी कार्यरत था, उस कार्यालय को सूचित करें तथा उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवश्य भिजवावें।

सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी इस अनुकम्पात्मक नियुक्ति आदेश में अंकित किये गये नियमों एवं शर्तों की यथावत् पालना करना सुनिश्चित करेंगें। इस प्रोबेशनर–ट्रेनी के चरित्र जाँच (पुलिस ऐन्टीसीडेन्ट) सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी अपने स्तर पर करवाएँ, जिसके सम्बन्ध में आदेश क्रमांक–58 दिनांक 26.11.1988 स्पष्ट है। इस नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध पर आंशिक छूट समझी जावे:–

आदेशानुसार,

सचिव (प्रशासन)
अविविनिलि., अजमेर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, राजकीय उपक्रम ब्यूरो, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार एवं सचिव, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता (झुन्झुनू संभाग) अविविनिलि, झुन्झुनू।
4. सचिव प्रशासन (जयपुर डिस्कॉम) जयपुर को उनके पत्र क्रमांक JPD/ Admn./ Rectt./F./D.866 dated 18.03.2013 के संदर्भ में प्रेषित है।
5. मुख्य लेखाधिकारी (ATB/R&C/IA-W&M) अविविनिलि, अजमेर।
6. कम्पनी सचिव, अविविनिलि, अजमेर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अविविनिलि, सीकर ।
   संलग्न--सम्बन्धित ट्रेनी का प्रार्थना--पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य मूल दस्तावेज।
8. उप निदेशक कार्मिक (झुन्झुनू संभाग) अविविनिलि, झुन्झुनू।
9. तकनीकी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अविविनिलि, अजमेर।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
11. कार्मिक अधिकारी (पवस) अविविनिलि, सीकर।
12. लेखाधिकारी (पवस) अविविनिलि, सीकर।
13. जन सम्पर्क अधिकारी, अविविनिलि, अजमेर।
14. संस्थापन अधिकारी/सहायक सचिव, प्रबन्ध निदेशक, अविविनिलि, अजमेर।
15. निजी सहायक, निदेशक, (वित्त/तकनीकी) अविविनिलि, अजमेर।
16. श्री सीताराम यादव पुत्र श्री सांवरमल यादव,।

संस्थापन अधिकारी